प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
षोडशम मण्डल, सिचाई कार्य,
प्रतापगढ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः–5491 / षोडशम / ए–1(सामान्य)निविदा–51 / 2017–18 दिनांक–02 / जनवरी / 2018

विषयः–अल्पकालीन ई–निविदा सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–03 / षोडशम / अधी0अभि0 / 2017–18 की छः प्रतियों में (सी0डी0सहित) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसे निम्नानुसार (हिन्दी / अंग्रेजी) एक दिन के अन्तराल में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित निविदा की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार छः प्रतियों में सी0डी0 सहित।

भवदीय

(पी0पी0 चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः–5491 / षोडशम / ए–1(सामान्य)निविदा–51 / 2017–18,तदिनांक–02.01.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (शा0सहा0) गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त निविदा सूचना की हार्ड कापी एवं सीडी संलग्न कर सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड एवं प्रकाशन हेतु।
6. जिलाधिकारी प्रतापगढ को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश संख्या–566 / 07–27–सिं–3–08 टी / 84, दिनांक–22.02.2007 के अनुपालन में निविदा खुलते समय एक मजिस्ट्रेट नामित कराना चाहे।
7. पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ।
8. जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रतापगढ / शा0सहा0खण्ड–41, गौरीगंज अमेठी / रायबरेली खण्ड (द0) शा0न0, रायबरेली / शा0 सहा0 खण्ड–45, रायबरेली / खण्डीय लेखाधिकारी शा0सहा0खण्ड–51, प्रतापगढ।
10. अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निविदा प्रपत्र समय से तैयार करा कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न निविदा सूचना में अंकित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
11. नोटिस बोर्ड।

संलग्नकः–यथोपरि।

(पी0पी0चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
षोडशम मण्डल, सिचाई कार्य,
प्रतापगढ।

ई–टेण्डरिंग हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–03/षोडशम/अधी0अभि0/2017–18

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन निविदायें (http://etender.up.nic.in) के माध्यम से फाइनेंसियल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक–17.01.2018 को 4:00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक– 18.01.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आनलाईन खोली जायेगी। बिड दिनांक–10.01.2018 से 17.01.2018 तक अपरान्ह 04.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने की दशा में बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + Stationary Charge(रू0 में)+GST	खण्ड का नाम जिसके नियंत्रण में कार्य सम्पादित कराया जाना है।	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Renewal of Jaunpur Branch Service Road from Km. 109.800 to Km. 116.700	बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार।	78.00	1.60	(500+2000) + 18%GST + नियमानुसार सेस	शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़।	दो माह	"B" अथवा उच्च

नियम व शर्ते :–

1- यह निविदा सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) तथा सिचाई विभाग की वेबसाइट (http://www.idup.upgovt.in) पर उपलब्ध है।
2. उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं समस्त वांछित अभिलेख अपलोड किये जा सकेगे।
3. प्रत्येक निविदादाता को रू0–100.00 मात्र का जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0–1.00 मात्र का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि निविदा में प्रस्तावित दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा दर वापस लेने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा में वर्णित प्रमाण–पत्रों के साथ धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य का चालान फार्म की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी। (समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।)
4. निविदा की विस्तृत शर्ते उक्त वेबसाइट पर संलग्न निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी एवं निविदा डालने वाले ठेकेदार/फर्म पर बाध्यकारी होगी।
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य ट्रेजरी चालान के माध्यम से जनपद प्रतापगढ के कोषागार में जो लेखाशीर्षक 0701–01–106–05–03 में जमा किया गया हों तथा चालान में यह स्पष्ट रूप से अकित हो कि यह धनराशि उक्त निविदा हेतु जो अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ कोड संख्या 2499 के लिए जमा की जा रही है, स्कैन कर ई–पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. फाईनेन्सियल बिड में न्यूनतम दर आने वाले निविदादाता को अनुबन्ध गठित होने से पूर्व समस्त निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप से प्रस्तुत करने होगें। समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में भी डालने की कार्यवाही की जायेगी तथा द्वितीय न्यूनतम निविदादाता का अनुबन्ध गठित करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(अ) धरोहर धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी प्रतिभूति के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़ के नाम बन्धक होगी, जो मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

(ब) ठेकेदार का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी–2, आई0डी0टी0–3,अनुभव प्रमाण–पत्र, श्रम विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स लखनऊ से डिजीटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन आदि का प्रमाण–पत्र की स्कैन कापी (मूल रूप में) स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।

(स) आई0डी0टी0–3 एवं निविदा चालान फार्म की मूल प्रति।

(द) निविदा स्वीकृत होने वाले निविदा दाता को छोडकर अन्य निविदादाताओं को मूल अभिलेख जमा करने की कोई आवश्यकता नही रहेगी।

7. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।
8. राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रस्थापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ज्वाईन्ट बेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही की जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलों दरे (Below Rates) प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दरें (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढ़ायी अथवा परिवर्तित की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
12- Technical Evaluation by Tender Committee will be done, Comparative chart would be prepared & Award of contract will be availabe as per sanction.
13. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय/अन्य किसी भी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना ई–टेण्डर की वेबसाइट/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर शुद्धिपत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जायेगा।
14. यदि कोई निविदा दाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्व अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/समव्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
16. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी। एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा एवं डाल सकेगा।
17. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नही किया जायेगा।

19. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
20. कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी संरचनाओं की सुरक्षा हेतु निर्देश मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
21. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। ठेकेदार द्वारा निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल की स्थिति एवं कार्य स्थल की प्रगति के बारे में भली–भांति जानकारी कर ले।
22. निविदादाता को कम से कम टेन्डर लागत तक के, लागत के सड़क कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
23. यह निविदा मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0) द्वारा दिये गये मौखिक आदेशों के अनुपालन में आमंत्रित की जा रही है तथा धनावंटन प्राप्त होने पर ही अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
24. अनुबन्ध गठित कराने से पूर्व अवशेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं नियमानुसार स्टैम्प पेपर जमा करना अनिवार्य होगा।
25. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना कार्यालय में सूचना पट पर चश्पा कर दी जायेगी।

<u>विशेष शर्ते–</u>

1. जी0एस0टी0 की दरें नियमानुयार निविदा प्रपत्र के मूल्य एवं कार्यों पर वसूल की जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र में वर्णित कार्य समय समय पर प्रचलित सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराना होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
षोडशम मण्डल, सिचाई कार्य,
प्रतापगढ